# महाराष्ट्र शासन

जलदगती डाकेद्वारे
(By Speed Post)

क्रमांक : घबाअ-१०१०(१०)/(प्र.क्र.४/१०)/पाच,
विधी व न्याय विभाग,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०१०.

प्रति

अपर प्रबंधक,
उच्च न्यायालय (अ.शा./मू.शा.),
मुंबई.

**विषय :- घरबांधणी अग्रिम धन प्रमाणित करणेबाबत**
**सन २००९-२०१०.**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयांसंदर्भात आदेशावरुन, मा.मुख्य न्यायमूर्तींच्या माहितीकरिता, आपणांस असे कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या ६० अर्जदारांची माहिती, अग्रीम प्रमाणित करण्यासाठी छाननीनंतर योग्य आढळून आलेली आहे. त्यांना सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा व फेरबदल व त्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रके इत्यादिंच्या अधिन राहून २००९-२०१० या वित्तीय वर्षाकरिता घरबांधणी अग्रीम **एकूण रुपये १,४०,९६,०००/- (एकूण रुपये एक कोटी चाळीस लाख श्यहाण्णव हजार फक्त)** प्रमुख/मंजुरी अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने प्रमाणित करण्यात येत आहे.

| अ. क्र. | यादी क्रमांक | अर्जदारांची संख्या | प्रमाणित रक्कम रुपये |
|---|---|---|---|
| १ | यादी क्रमांक १ :- सर्व साधारण- (वर्ग-३ व त्यावरील अधिकारी व कर्मचारी) | ३० | ७६९७३६१ |
| २ | यादी क्रमांक २ :- मागास वर्ग (वर्ग ३ व त्यावरील अधिकारी व कर्मचारी) | २३ | ५३१८६३९ |
| ३ | यादी क्रमांक ३ :- सर्व साधारण- - (वर्ग ४ चे कर्मचारी) | ५ | ७९९५०० |
| ४ | यादी क्र. ४ :- मागास वर्ग - (वर्ग ४ चे कर्मचारी) | २ | २८०५०० |
| | **एकूण** | **६०** | **१४०९६०००** |

**(एकूण रुपये एक कोटी चाळीस लाख श्यहाण्णव हजार फक्त)**

२. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मध्ये विहित केलेल्या अटींच्या अधिन राहून प्रमाणित अग्रीमास मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदारांकडून तो निवृत्त होण्यापूर्वी संपूर्ण अग्रीमाची व्याजासह वसुली होईल व प्रकरणपरत्वे अर्जदाराने सर्व बाबींची / कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घेतल्यावरच या अग्रीमास मंजुरी देण्यात यावी. **अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत** या अग्रीम धनास मंजुरी देऊन अग्रीमाची रक्कम कोषागारातून काढण्यात

यावी. तसेच कोषागारातून रक्कम काढल्यानंतर ती रक्कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी.

३. हा खर्च (मागणी क्रमांक जे-५) ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादिना कर्जे (योजनेतर/दत्तमत) २०१(००)(०१)-घरबांधणीसाठी अग्रीम ( लेखाशीर्ष संकेतांक ७६१० ०४७ २) खाली खर्ची टाकण्यात यावा व २००९-२०१० या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या लेखानुदानातून भागविण्यात यावा.

४. **जमीन खरेदी करुन घर बांधणे** या प्रयोजनासाठी अग्रीमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे स्थानिक प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत शासनास पाठविण्यात यावी.

५. **घरबांधणी** प्रयोजनार्थ अग्रीम घेतले आहे अशा प्रकरणी अर्जदाराने बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण केले आहे याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल व त्या टप्प्यापर्यन्त करण्यात आलेल्या खर्चाच्या पावत्या शासनाकडे सादर कराव्यात. ज्या अर्जदाराना ३ रा व ४ था हप्ता / अंतिम हप्ता म्हणून प्रमाणित करण्यात आला आहे त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्कम प्रदान करावी.

६. **घरबांधणी** या प्रयोजनासाठी या पत्रानुसार प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रीम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत शासनास पाठविण्यात यावी.

७. **तयार घर खरेदी** या प्रयोजनासाठी अग्रीम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत अर्जदाराने भरुन घेण्यात आल्यावरच अग्रीमाची रक्कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी.

८. **घरखरेदीसाठी/घरबांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड** या प्रयोजनासाठी अग्रीम प्रमाणित करण्यात आले आहे अशा अर्जदारांकडून अग्रीम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलिकडील प्रमाणपत्र घेऊन प्रत्यक्ष उर्वरित कर्जाइतकेच अग्रीम मंजूर करावेत व धनादेश संबंधित वित्तीय संस्थेच्या नावानेच देण्यात यावा.

९. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रीम प्रमाणित करण्यात आले आहे अशा अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्रीमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी.

१०. आपणांस असेही कळविण्यात येते की, सदर घरबांधणी अग्रीम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा निधीकडेच उतरवावा अशी अट मंजुरी आदेशात घालावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व ) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी.

११. हे अग्रीमधन मंजूर केलेल्या आपल्या कार्यालयाच्या आदेशाची प्रत शासनास पाठविण्यात यावी. तसेच प्रत्यक्ष कोषगारातून रक्कम काढण्याचा दिनांक व प्रमाणक क्रमांकही त्वरीत कळविण्यांत यावा. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्कम **त्वरित** शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. सदर रकमेचा विनियोग झाला किंवा कसे याबाबत या शासन पत्राच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत शासनास कळविण्यात यावे.

१२. आपणांस असेही कळविण्यात येते की, तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक ३ घबाअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली सक्षम अधिका-याने दिलेली कागदपत्रे सादर केलेली आहेत याची खात्री झाल्यावरच अग्रीम मंजूर करण्यात यावा.

१३. अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्रीम मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी त्या रकमेचा अर्जदाराकडून विनियोग करण्यात आला याबद्दलचे विनियोग प्रमाणपत्र मंजुरी अधिका-याने शासनास पाठवावे.

१४. यादी क्रमांक २ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्कम इतर पात्र अर्जदारास प्रमाणित करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्रीम मंजूर करण्यात येत नसेल तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यावरुन उद्भवणा-या अनियमिततेस सदर मंजुरी अधिकारी जबाबदार राहील याची कृपया नोंद घ्यावी.

१५. संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेलेला असल्यास, **अर्थसंकल्पिय वित्तीय प्रणालीवर Athorisation Slip काढण्यापूर्वी,** त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, **प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच** देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी.

१६. जर काही कारणास्तव अग्रीम मंजूर करण्यात येत नसेल तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्रीमापेक्षा कमी रक्कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही समुचित तपशीलासह कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्रीमाची उर्वरित रक्कम या विभागास तात्काळ परत करण्यात यावी.

१७. घरबांधणी अग्रीमाच्या मुद्दलाची परतफेड 'घरबांधणी अग्रीम -७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादिना कर्जे-२०१-घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०-५०१-५०० )' या जमा शीर्षाखाली आणि व्याज '००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा ( संकेतांक ००४९ ००६ १०० ) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४५ (१) घरबांधणी अग्रीम' या जमाशीर्षाखाली जमा करण्यात यावे.

१८. या शासन पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रीमावर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबाअ-१००७/प्र.क्र.४१/२००७/विनियम, दिनांक २९.०९.०७ मध्ये नमूद केल्यानुसार व्याजाची आकारणी करावी.

१९. सोबतच्या यादीतील अर्जदारानी प्रमाणित केलेले घरबांधणी अग्रीम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/मंजुरी अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. तेव्हा नियमांच्या अधीन राहून अग्रीमाचे वितरण करणे व ती वसुल करणे त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख / मंजुरी अधिकारी यांची राहील.

२०. सदरहू पत्र हे निधी उपलब्धता प्रमाणपत्र समजण्यात यावे.

आपला,

(बा.कि.रासकर)
शासनाचे अवर सचिव

**प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित-**

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई ( २ प्रती)
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर ( २ प्रती)
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,
सह सचिव, विधी व न्याय विभाग, औरंगाबाद,
प्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद/नागपूर,
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड, चंद्रपूर, कोल्हापूर, गडचिरोली, परभणी, बुलढाणा, सोलापूर, नांदेड, यवतमाळ, जालना, भंडारा, अकोला,
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, चंद्रपूर, कोल्हापूर, गडचिरोली, परभणी, बुलढाणा, सोलापूर, नांदेड, यवतमाळ, जालना, भंडारा, अकोला, औरंगाबाद, नागपूर,
विधी व न्याय विभाग (कार्यासन २३ व २४),
निवड नस्ती.

शासन पत्र क्रमांक : घबांअ-२०१०/(१०)/(प्र.क्र.४/१०)/पाच, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१०

सोबतचे विवरणपत्र - यादी क्रमांक १

सर्वसाधारण/अमागास (वर्ग ३ व त्यावरील अधिकारी व कर्मचारी )

| अ.क्र. | अर्जदाराचे नाव व पदनाम | मंजुरी अधिकारी | प्रयोजन | एकूण प्रमाणित अग्रिम | या शासन पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आलेले अग्रीम | हप्ता/ एक रकमी | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री.एस.के. तांदळे, वरिष्ठ लिपिक | सह सचिव,विधी व न्याय विभाग, औरंगाबाद | तयार घर खरेदी | ३८७००० | ३८७००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| २ | श्री.एन.आर. पाठक, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. बीड | नवीन घर बांधणी | ३३७५०० (तीन हप्ते) | १०१२५० | १ला हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| ३ | श्री.जे.व्ही. कुलकर्णी, लघुलेखक | जि.व स.न्या. चंद्रपूर | कर्ज परतफेड | ६००००० | ६००००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| ४ | श्री.एस.जी. सामंत, सहायक अधीक्षक | जि.व स.न्या. कोल्हापूर | कर्ज परतफेड | २२८००० | २२८००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| ५ | श्री.एस.के. सावंत, सहायक अधीक्षक | जि.व स.न्या. कोल्हापूर | कर्ज परतफेड | २६४००० | २६४००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| ६ | श्री.पी.ए.पोशट्टीवार, लघुलेखक | जि.व स.न्या. चंद्रपूर | नवीन घर बांधणी | ५००००० (तीन हप्ते) | २००००० | २रा हप्ता (४०%) | नियमानुसार |
| ७ | श्री.पी.व्ही. संतोषवार, सहायक अधीक्षक | जि.व स.न्या. गडचिरोली | नवीन घर बांधणी | २७०६५० (दोन हप्ते) | १८९४५५ | १ला (१ व २) हप्ता (७०%) | शिफारशीनुसार |
| ८ | श्री.आर.एम. खान, दिवाणी न्यायाधीश | जि.व स.न्या. परभणी | तयार घर खरेदी | ७५०००० | ७५०००० | एक रकमी | नियमानुसार |
| ९ | श्री.टी.के. देखणे, लघुलेखक | जि.व स.न्या. बुलढाणा | नवीन घर बांधणी | ५००००० (तीन हप्ते) | १५०००० | ३रा हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| १० | श्री.पी.एच. पाडीया, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. बुलढाणा | नवीन घर बांधणी | २९५००० (तीन हप्ते) | ८८५०० | ३रा हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| ११ | श्री.व्ही.व्ही. कुलकर्णी, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. सोलापूर | कर्ज परतफेड | ३३२२५० | ३३२२५० | एक रकमी | नियमानुसार |

| अ.क्र. | अर्जदाराचे नाव व पदनाम | मंजुरी अधिकारी | प्रयोजन | एकूण प्रमाणित अग्रिम | या शासन पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आलेले अग्रीम | हप्ता/ एक रकमी | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२ | श्री.आर.एम. सांडवे, बेलिफ | जि.व स.न्या. नांदेड | कालांतराने घर बांधण्यासाठी जमिन खरेदी | १८०००० | १८०००० | एक रकमी | नियमानुसार |
| १३ | श्री.व्ही.बी. कुलकर्णी, लिपिक | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | २७३७५० | २७३७५० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १४ | श्री.एम.एम. हडगळ, लिपिक | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | २७३७५० | २७३७५० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १५ | श्री.एस.बी. देशपांडे, स्टाफ कार ड्रायव्हर | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | २७३७५० | २७३७५० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १६ | श्री.के.व्ही. पवार, स्टाफ कार ड्रायव्हर | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | २७३७५० | २७३७५० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १७ | श्री.एस.पी. शास्त्री, स्टाफ कार ड्रायव्हर | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | २५६९०० | २५६९०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १८ | श्री.जी.वाय.मोहरिल, सहायक अधीक्षक | जि.व स.न्या. चंद्रपूर | कालांतराने घर बांधण्यासाठी जमिन खरेदी | १७०००० | १७०००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १९ | श्री.एस.के. गुल्हाने, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | कर्ज परतफेड | १९६५०० | १९६५०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| २० | श्री.एन.एम. सुने, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | कर्ज परतफेड | २०३००० | २०३००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| २१ | श्री.एस.एस.गव्हाणे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | नवीन घर बांधणी | २७३७०० (तीन हप्ते) | ८२११० | १ला हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| २२ | श्री.बी.यू. बांबुर्डे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | कर्ज परतफेड | २६८००० | २६८००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| २३ | श्री.एम.के.पुलजवार, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | तयार घर खरेदी | ३०२२०० | ३०२२०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |

| अ.क्र. | अर्जदाराचे नाव व पदनाम | मंजुरी अधिकारी | प्रयोजन | एकूण प्रमाणित अग्रिम | या शासन पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आलेले अग्रीम | हप्ता/ एक रकमी | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २४ | श्री.आर.एस. संभे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | नवीन घर बांधणी | २९६२०० (तीन हप्ते) | ८८८६० | १ला हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| २५ | श्री.आर.ए. घुले, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | कर्ज परतफेड | २०६८०० | २०६८०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| २६ | श्री.जी.बी. भिसे, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | कर्ज परतफेड | २६६००० | २६६००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| २७ | श्री.पी.एस. शेळके, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | कर्ज परतफेड | ३०१३०० | ३०१३०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| २८ | श्री.पी.आर. फाळके, लघुलेखक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | नवीन घर बांधणी | ५००००० (तीन हप्ते) | १५०००० | ३रा हप्ता (३० %) | नियमानुसार |
| २९ | श्री.आर.डी. आपटे, खासगी सचिव | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर | कर्ज परतफेड | ५४७८३६ | ५४७८३६ | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| ३० | श्री.आर.बी. शहाणे, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. परभणी | नवीन घर बांधणी | ३०८००० (तीन हप्ते) | ९२४०० | १ला हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| | | | | एकूण रुपये | ७६९७३६१ | | |
| | (एकूण रुपये श्यहात्तर लाख सत्त्याण्णव हजार तीनशे एकसष्ठ फक्त) | | | | | | |

## शासन पत्र क्रमांक : घबांअ-२०१०/(१०)/(प्र.क्र.४/१०)/पाच, दिनांक ९५ फेब्रुवारी, २०१०
## सोबतचे विवरणपत्र - यादी क्रमांक २
## मागासवर्गीय (वर्ग ३ व त्यावरील) अधिकारी व कर्मचारी

| अ.क्र. | अर्जदाराचे नाव व पदनाम | मंजुरी अधिकारी | प्रयोजन | एकूण प्रमाणित अग्रिम | या शासन पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आलेले अग्रीम | हप्ता/ एक रकमी | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्रीमती पी.एस. मेश्राम, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. चंद्रपूर | कर्ज परतफेड | २००००० | २००००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| २ | श्री.जी.डी. गलांडे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. बीड | नवीन घर बांधणी | ३७५००० (तीन हप्ते) | ११२५०० | १ला हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| ३ | श्री.एस.एम. लांडगे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. चंद्रपूर | कालांतराने घर बांधण्यासाठी जमिन खरेदी | १८०००० | १८०००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| ४ | श्री.डी.के. जोधळे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. जालना | नवीन घर बांधणी | ३३७५०० (तीन हप्ते) | १०१२५० | १ला हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| ५ | श्रीमती एस.एस. बारसागडे, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. गडचिरोली | नवीन घर बांधणी | ३७५००० (तीन हप्ते) | १५०००० | २रा हप्ता (४०%) | नियमानुसार |
| ६ | श्री.के.डी. ढवळे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. बुलढाणा | नवीन घर बांधणी | २९६२५० (तीन हप्ते) | ८८८७५ | ३रा हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| ७ | श्री.एम.एल. घुले, सहायक | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | ५१७५०० | ५१७५०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| ८ | श्री.व्ही.डी. कोल्हे, लिपिक | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | २७३७५० | २७३७५० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| ९ | श्री.एस.सी. सोनवणे, लिपिक | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | २७३७५० | २७३७५० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १० | श्री.एस.पी. राणे, लिपिक | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | २७३७५० | २७३७५० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |

| अ.क्र. | अर्जदाराचे नाव व पदनाम | मंजुरी अधिकारी | प्रयोजन | एकूण प्रमाणित अग्रिम | या शासन पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आलेले अग्रीम | हप्ता/ एक रकमी | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ११ | श्री.एम.एच. काटकर, लिपिक | प्रबंधक, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद | कर्ज परतफेड | २७३७५० | २७३७५० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १२ | श्री.डी.व्ही. कांबळे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. सोलापूर | कर्ज परतफेड | २९६२५० | २९६२५० | एक रकमी | नियमानुसार |
| १३ | श्री.एस.एच. लऊत्रे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. चंद्रपूर | कालांतराने घर बांधण्यासाठी जमिन खरेदी | ११०००० | ११०००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १४ | श्री.ए.जी. गोंडे, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | नवीन घर बांधणी | ३६०००० (तीन हप्ते) | १०८००० | १ला हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| १५ | श्री.ए.एस. सलामे, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | कर्ज परतफेड | ३९५५०० | ३९५५०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १६ | श्री.व्ही.एन. राठोड, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | तयार घर खरेदी | ३१४००० | ३१४००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १७ | श्री.सी.एच. खरतडे, कनिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. यवतमाळ | तयार घर खरेदी | २७३७०० | २७३७०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| १८ | श्री.एस.जी.कांडलकर, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. गडचिरोली | नवीन घर बांधणी | ३७५००० (तीन हप्ते) | ११२५०० | ३रा हप्ता (३० %) | शिफारशीनुसार |
| १९ | श्री.एम.आर. कटरे, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. भंडारा | नवीन घर बांधणी | ३५०००० (तीन हप्ते) | १४०००० | २रा हप्ता (४० %) | नियमानुसार |
| २० | श्री.एन.एच. हुरपडे, सहायक अधीक्षक | जि.व स.न्या. अकोला | कालांतराने घर बांधण्यासाठी जमिन खरेदी | १८०००० | १८०००० | एक रकमी | नियमानुसार |
| २१ | श्रीमती एस.एस. नागुर, सहायक अधीक्षक | जि.व स.न्या. अकोला | कर्ज परतफेड | ७०४११९ | ७०४११९ | एक रकमी | नियमानुसार |
| २२ | श्री.के.ए. दाळवे, वरिष्ठ लिपिक | जि.व स.न्या. परभणी | नवीन घर बांधणी | ३५२५०० (तीन हप्ते) | १४१००० | २रा हप्ता (४० %) | नियमानुसार |

| अ.क्र. | अर्जदाराचे नाव व पदनाम | मंजुरी अधिकारी | प्रयोजन | एकूण प्रमाणित अग्रिम | या शासन पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आलेले अग्रीम | हप्ता/ एक रकमी | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २३ | श्री.एन.जी. ठेंगणे, सहायक अधीक्षक | जि.व स.न्या. गडचिरोली | नवीन घर बांधणी | ३२८१५० (तीन हप्ते) | ९८४४५ | ३रा हप्ता (३० %) | नियमानुसार |
| | | | | एकूण रुपये | ५३१८६३९ | | |
| (एकूण रुपये त्रेपन्न लाख अठरा हजार सहाशे एकोणचाळीस फक्त) | | | | | | | |

शासन पत्र क्रमांक : घबांअ-२०१०/(१०)/(प्र.क्र.४/१०)/पाच, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१०

सोबतचे विवरणपत्र - यादी क्रमांक ३

सर्वसाधारण/अमागास (वर्ग ४ चे कर्मचारी)

| अ.क्र. | अर्जदाराचे नाव व पदनाम | मंजुरी अधिकारी | प्रयोजन | एकूण प्रमाणित अग्रिम | या शासन पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आलेले अग्रीम | हप्ता/ एक रकमी | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री.बी.डी. ढगे, शिपाई | जि.व स.न्या. परभणी | नवीन घर बांधणी | २५०००० (तीन हप्ते) | ७५००० | १ला हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| २ | श्री.आय.आर. मिश्रा, शिपाई | जि.व स.न्या. चंद्रपूर | कालांतराने घर बांधण्यासाठी जमिन खरेदी | १८०००० | १८०००० | एक रकमी | नियमानुसार |
| ३ | श्री.एस.जाफर अली एस.बासत अली, शिपाई | जि.व स.न्या. नांदेड | कालांतराने घर बांधण्यासाठी जमिन खरेदी | १८०००० | १८०००० | एक रकमी | नियमानुसार |
| ४ | श्रीमती खुर्शिदाबेगम, शिपाई | जि.व स.न्या. नांदेड | तयार घर खरेदी | १२०००० | १२०००० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| ५ | श्री.ए.जी. नंदनवार, शिपाई | जि.व स.न्या. यवतमाळ | तयार घर खरेदी | २४४५०० | २४४५०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| | | | | एकूण रुपये | ७९९५०० | | |
| (एकूण रुपये सात लाख नव्याण्णव हजार पाचशे फक्त) | | | | | | | |

**शासन पत्र क्रमांक : घबांअ-२०१०/(१०)/(प्र.क्र.४/१०)/पाच, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१०**

**सोबतचे विवरणपत्र - यादी क्रमांक ४**

**मागास (वर्ग ४ चे कर्मचारी )**

| अ.क्र. | अर्जदाराचे नाव व पदनाम | मंजुरी अधिकारी | प्रयोजन | एकूण प्रमाणित अग्रिम | या शासन पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आलेले अग्रीम | हप्ता/ एक रकमी | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री.एन.आर. कोरडे, शिपाई | जि.व स.न्या. बीड | नवीन घर बांधणी | २४०००० (तीन हप्ते) | ७२००० | १ला हप्ता (३०%) | नियमानुसार |
| २ | श्री.एम.पी. जाधव, शिपाई | जि.व स.न्या. यवतमाळ | तयार घर खरेदी | २०८५०० | २०८५०० | एक रकमी | शिफारशीनुसार |
| | | | | **एकूण रुपये** | **२८०५००** | | |

**(एकूण रुपये दोन लाख ऐंशी हजार पाचशे फक्त)**

**शासन पत्र क्रमांक : घबांअ-२०१०/(१०)/(प्र.क्र.४/१०)/पाच, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१०**

| यादी क्रमांक | अर्जदारांची संख्या | रक्कम रुपये |
|---|---|---|
| १ | ३० | ७६९७३६१ |
| २ | २३ | ५३१८६३९ |
| ३ | ५ | ७९९५०० |
| ४ | २ | २८०५०० |
| **एकूण रुपये** | **६०** | **१४०९६०००** |

**(एकूण रुपये एक कोटी चाळीस लाख श्यहाण्णव हजार फक्त)**

(बा.कि.रासकर)

**शासनाचे अवर सचिव**